पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

दरा

गाँव - दरा

पंचायत - पालमाण्डव

तहसील - दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

दरा गाँव का इतिहास

गाँववासियों के अनुसार दरा गाँव करीब 300 साल पुराना है । यहाँ दो बड़े पहाड़ है - 1. नारा मगरा 2. बलता मगरा । इन दोनों पहाड़ो के बीच में एक गहरा दुर्गम दर्रा है जिसे चोर दर्रा कहते है । इस दर्रे में अंग्रेजों के शासनकाल में गुलामी से बचने के लिए लोग छुप कर रहते थे । इसलिए इस गाँव का नाम दरा पड़ गया है । यहाँ सबसे पहले 4 लोग आये थे उनमे 1 राजपूत, 1 पाटीदार और 2 मीणा आये थे । फिर राजपूत और पाटीदार वहाँ से चले गये और मीणा लोगो ने इस गाँव को बसाया । उन्ही के वंशज दरा गाँव में रह रहे है ।

दरा गाँव का परिचय

दरा गाँव जिला कार्यालय डूंगरपुर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। पालमाण्डव पंचायत में पांच राजस्व गाँव है - देवली, खांडा, दरा, पालमाण्डव, हडमतिया । दरा पालमाण्डव ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है। राजस्व गाँव दरा के उत्तर में खांडा, पश्चिम में देवली है ।

दरा गाँव में 5 फलें है-

1. राय फला
2. होडा फला
3. माना फला
4. स्कूल वाला फला
5. थुर वाला फला

दरा गाँव में शिलालेख वर्ष 2018 को हुआ और उसी दिन गाँव सभा व शांति समिति का गठन भी कर दिया गया । खान्डा गाँव में 250 घर है जिनकी आबादी लगभग 1200 है । गाँव में एस. टी. के परमार उप-जाति के लोग है, इनके अलावा कुछ घर यादव समाज (ओ.बी.सी.) के लोगो के है । वागड़ मजदूर किसान संगठन की पेसा कानून की जानकारी देने वाली बैठकों से गाँव के लोगों में पेसा कानून को लेकर समझ बनी है । हालाँकि गाँव के अधिकतर शिक्षित लोग गाँव से बाहर रोजगार की तलाश में चले गये है किन्तु गाँव के बुजुर्ग जो गाँव में रहते है, वे हर माह की निश्चित तारीख को गाँवसभा की बैठक करते है, जिसमे पेसा कानून की जानकारी दी जाती है और गाँव के आपसी झगडों और समस्याओ का समाधान आपसी सहमती से किया जाता है ।

गाँव की पूरी जमीन का रकबा 750 हेक्ट है । जिसमे कृषि भूमि, चारागाह और जंगल की जमीन है । गाँव के पूर्व और दक्षिण दिशा में काफी बड़ी जमीन जंगल की है जिसमे सागवान, महुआ और गोंद के पेड़ बहुतायत है । यह जंगल गाँव के पहाड़ो और समतल जमीन पर है, पहाड़ और जंगल की जमीन को वन विभाग ने अपने अधिकार में कर रखा है । पूरे जंगल को वन विभाग ने परकोटा बना कर संरक्षित कर रखा है और एक वन चौकी भी बना रखी है ।

आवागमन की स्थिति

गाँव की सीमा पर एक पक्की सड़क है जो गाँव के बाहर से गुजर रही है, यह सड़क दरा गाँव में होती हुयी हडमतिया निकलती है । सड़क के किनारे कम ही घर बने है ज्यादातर घर गाँव के भीतर के फलों में बने हुए है जिनके लिए मात्र दो सी.सी. सड़के बनी हुई है । बाकि 4 कच्ची सड़के है । जिन लोगो के यहाँ रास्ते नहीं है उन लोगो को खेतों में से गुजरना पड़ता है । गाँव की अवस्थिति इतने दुर्गम दर्रों और पहाड़ियों में है कि यदि बाहरी अनजान व्यक्ति गाँव में आता है तो रास्ता भटकने पर फिर से गाँव की मुख्य सड़क पर जाना पड़ता है उसके बाद फिर कही जाया जा सकता है । गाँव के अंदरूनी फलों में कच्ची ग्रेवल सड़क बारिश के मौसम में समस्या पैदा करते है । बारिश के दिनों में तो पगडण्डिया भी घास उगने से गुम सी हो जाती है । आवागमन के लिए मेन रोड से आसानी से ऑटो, जीप मिल जाते है, जिससे सड़क से जुड़े दूसरे गाँवों में जाने में आसानी होती है । गाँव में कोई बस स्टैंड नहीं है इसलिए गाँव की मुख्य सड़क के तिराहे पर खड़े होकर वाहन का इंतजार करना पड़ता है । खरीदारी के लिए नजदीकी बाजार 6 किमी दूर पुनाली, 5 किमी दूर दामडी और नरनिया है और बड़ा बाजार डूंगरपुर 20 किमी दूर है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में दो विद्यालय है - 1 प्राथमिक विद्यालय में 50 छात्र-छात्राये है और 2 अध्यापक है, 2. उच्च प्राथमिक विद्यालय रायफला में है जिसमे 250 विद्यार्थी और 7 अध्यापक है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही एक आंगनवाडी भी संचालित की जाती है, जिसमे छोटे बच्चों के साथ ही स्कूल के बच्चों के लिए मिड-डे मिल भी बनाया जाता है । उच्च प्राथमिक विद्यालय रायफला की हालत जर्जर हो रही है, 1 कमरा गिर चुका है और अन्य कक्षा-कक्ष भी जर्जर है । दोनों विद्यालयों में छत से पानी टपकता, छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है और पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है । पहले विद्यालय में अध्यापकों की कमी थी और दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता था लेकिन गाँव सभा के प्रस्तावों में समस्या को दर्ज कराने के पश्चात् 4 अध्यापक नियुक्त किये गये है । उच्च शिक्षा के लिये 20 किमी दूर डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, वहाँ अधिकतर बच्चे हॉस्टल में रहते है । गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है इसके लिए खांडा गाँव में जाना पड़ता है वहाँ एक एएनएम है जो अक्सर उपस्वास्थ्य केन्द्र को जल्दी बंद कर देती है, उप-स्वास्थ्य केंद्र खुला होने पर दवाइयाँ मिल जाती है। सरकारी अस्पताल गाँव से 5 किमी दूर दामड़ी में है और बड़ा हॉस्पीटल 20 किमी दूर डूंगरपुर में है। अधिकतर मामलों में मरीज को ऑटो, जीप में डाल कर ले जाया जाता है । गंभीर केस में ही 108 की सुविधा उपलब्ध होती है, ज्यादा गंभीर मामलों में मरीजों को अहमदाबाद या उदयपुर जिले के सरकारी अस्पताल में रेफ़र किया जाता है ।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के लगभग 200 घरों में बिजली है और लगभग 40 प्रतिशत घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुँच गया है । गाँव के पात्र लोगो कों पेंशन, राशन, आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस इत्यादी सरकारी सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित लाभ मिल रहे है ।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि योग्य जमीन पर मुख्यतः मक्का, उडद, मूंग और चना की खेती की जाती है। लेकिन यह केवल चार माह खाने तक का ही हो पाता है। किसान कृषि केंद्र के बजाय बाजार से बीज खरीदते है जो उन्नत किस्म का नहीं होता है, कई बार मक्का और गेहूँ की फसल में दाने भी नहीं बन पाते है । कभी कभी तेज बारिश और अतिवृष्टि की वजह से भी फसल खेतों में बर्बाद हो जाती है या बीज सड़ जाता है। रोजगार के नाम पर लोग मनरेगा में काम करते है जैसे - ग्रेवल सड़क की मरम्मत, खेत तलावडी निर्माण, कुआं गहरीकरण इत्यादि । नरेगा में गाँव की महिलाये ज्यादातर जाती है, क्योंकि पुरुष घर चलाने के लिए रोजगार की तलाश में शहरों में चले जाते है । मनरेगा में 100 दिन का काम नहीं मिलता है और न ही काम की पूरी नपती होती है । इस वजह से पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है । मनरेगा में न्यूनतम 90 रूपए और अधिकतम 110 रूपए मिल जाते है । काम नहीं मिलने पर लोग कड़िया मजदूरी करने के लिए डूंगरपुर शहर की मंडी में आते है जहाँ मोल-भाव करके उन्हें ठेकेदार 200-300 रूपए में ले जाते है । गाँव के पढ़े-लिखे लोग बेरोजगारी से बचने और बेहतर जिन्दगी की तलाश में गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है ।

सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति

गाँव में पानी का स्तर 250 फीट से नीचे चला गया है । गाँव में सिंचाई के पानी के लिए 5 छोटे-बड़े तालाब, 3 नाले, 41 कुऐ, 9 निजी बोरवेल है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में तालाब, कूओ और नालों में पानी सूख जाता है । गर्मी में कुओ और बोरवेल में भी पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और इनमे पानी की कमी हो जाती है । सिंचाई के पानी के अभाव के कारण खेतों में फसल भी अच्छी नही हो पाती है, कई बार तो पानी के कमी से खेतों में खड़ी फसल अनाज पकने से पहले ही सूख जाती है ।

चारागाह, जंगल एवं पहाड़

गाँव में चरागाह और जंगल की जमीन है, जिस पर वन विभाग व सरकार का कब्ज़ा है । गाँव की पूर्व और दक्षिण दिशा में पहाड़ो पर ही कुछ जंगल बचा है । पहाड़ो में किसी भी खनिज उपलब्धता की जानकारी नही है ।

दरा गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओ का विवरण

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गाँव के जंगल पर वन विभाग ने कब्ज़ा कर लिया है । जंगल में सागवान, महुआ, बांस, गोंद जैसी लघुवन उपज है, लेकिन गाँव वालों को लघुवन उपज को एकत्र करने, उपभोग तथा बिक्री पर वन विभाग ने पाबंदी लगा रखी है, यदि कोई गाँववासी इसका उलंगन करता है उसे जेल या जुर्माना किया जाता है । जंगल पर गाँव ने अभी सामुदायिक दावा नहीं किया है । गाँव के लोग भी अब इसे अपने गाँव का हिस्सा नहीं मानते है ।

आवागमन की समस्या

गाँव की सीमा पर एक पक्की सड़क है जो गाँव के बाहर से गुजरती है । ज्यादातर घर गाँव के भीतर के फलों में बने हुए है जिनके लिए मात्र दो सी.सी. सड़के बनी हुई है, बाकि 4 कच्ची सड़के है । जिन लोगो के यहाँ रास्ते नहीं है उन लोगो को बीहड़ और खेतों में से हो कर घर जाना पड़ता है । यदि बाहरी अनजान व्यक्ति गाँव में आता है तो गाँव के दर्रों में रास्ता भटकने पर फिर से गाँव की मुख्य सड़क पर जाना पड़ता है फिर वहाँ से कही जाया जा सकता है । गाँव के अंदरूनी फलों में कच्ची पगडण्डिया बारिश के दिनों में घास उगने से गुम सी हो जाती है । आवागमन के लिए मेन रोड से आसानी से ऑटो, जीप मिल जाते है, जिससे सड़क से जुड़े दूसरे गाँवों में जाने में आसानी होती है । गाँव में कोई बस स्टैंड नहीं है इसलिए गाँव की मुख्य सड़क के तिराहे पर खड़े होकर वाहन का इंतजार करना पड़ता है । गाँव में तीन पुलिया बने हुए है जिससे गाँव के फले आपस में जुड़े हुए है । रात्रि में आने जाने वालों को जंगली जानवरों का डर रहता है, साथ ही गर्भवती महिलाओं, बीमारों, बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या रहती है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव 300 वर्ष पुराना है और लोग अपने घर खेत में बना कर रह रहे है लेकिन उन्हें अपने कब्जे की जमीन का पट्टा नहीं मिला है । लोगो के पास इतनी कम जमीन है कि एक परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं पैदा किया जा सकता है । वर्तमान में राजस्व विभाग ने पट्टे देना बंद कर दिया है और धारा 91 की रसीद भी जमा करना बंद कर दिया है । गाँव के लोगो ने अभी तक वन भूमि पर सामुदायिक दावा फाइल नहीं लगाई है । ज्यादातर खेत पहाड़ी ढलान वाले और उबड़-खाबड़ है जिन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है, गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए 5 तालाब, 3 नाला, 2 एनिकट और 41 कुएं है । केवल 10 कुएं ही साल भर पानी से भरे रहते है । 4 तालाब कम गहराई होने और 1 एनिकट में दरारों से रिसाव के कारण साल भर पानी नहीं रहता है। कावालिया तालाब और उससे निकल कर आने वाले नाले में साल भर पानी रहता है और 1 एनिकट में पानी रहता है हालाँकि एनिकट में गर्मी के अंतिम महीने में इतना ही पानी बचता है कि पशुओ कों पिलाया जा सके । गाँव में भू-जल

स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 5 सार्वजनिक कुएं है जिनमे साल भर पानी रहता है उनका पानी पीने के काम में लिया जाता है, 30 हैंडपंप में से 8 हैंडपंप चालू रहते है । गाँव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है। गाँव के लोग अपने जल-संसाधनों की देख-भाल करने में रूचि नहीं दिखाते है जिस कारण सार्वजनिक कुएं धीरे धीरे पट जाने लगे है ।

कृषि और खाद्यान्न की स्थिति

गाँव में खेती बारिश के मौसम पर निर्भर है और सिंचाई के लिए संसाधन भी है लेकिन उचित रखरखाव नहीं होने के कारण सिंचाई का संकट हो जाता है । अधिकतर लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती की जमीन है। गाँव में समतल जमीन नहीं के बराबर है । गाँव में जिनके पास समतल जमीन है बारिश के अलावा वे ही लोग फसल उगा पाते है जिनके पास निजी बोरवेल है । कावालिया तालाब में जून माह तक पानी कम हो जाता है, पहले उसका पानी सिंचाई के काम में लेते थे और नहरे भी निकाली गयी, अभी वर्तमान में नहरे भी टूट गयी है जिस कारण पंप सेट चला कर सिंचाई करते है । पैदा होने वाला अनाज 4 महीने खाने भर का हो जाता है। किसी भी प्रकार की नकदी फसल की खेती नहीं की जाती है । राशन की दुकान भी गाँव में नहीं है इसके लिए माताटेबा देवली में जाना पड़ता है । कई बार लोग अपनी खेती के काम और मजदूरी छोड़ कर अनाज लेने जाते है ।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। गाँव में चरागाह की जमीन पर वन विभाग और सरकार का कब्ज़ा है । चारे और पौष्टिक पशु आहार के अभाव में दुधारू जानवर दूध कम देते है । इनके लिए चारे की उपलब्धता बारिश के सीजन में ही हो पाती है, चारा खत्म होने के बाद खरीदा जाता है जो 8 रूपए प्रति पुली के भाव से खरीदा जाता है । कुछ लोग मुर्गीपालन पालन भी करते है जिससे उनके मांसाहार की पूर्ति हो जाती है और अंडे बेच कर कुछ आय भी कर लेते है । किन्तु ये परिवार की परवरिश के लिए पर्याप्त नहीं है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में दो प्राथमिक विद्यालय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की हालत जर्जर हो रही है, 1 कमरा गिर चुका है और अन्य कक्षा-कक्ष भी जर्जर है । दोनों विद्यालयों में छत से पानी टपकता है, छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है और पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है । पहले विद्यालय में अध्यापकों की कमी थी और दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । अध्यापकों के अभाव में बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है । बच्चे गणित में दस तक पहाड़े और हिंदी, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों की सही से पहचान और उच्चारण नहीं कर पाते है । न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है न ही बैठने के लिए टेबल कुर्सी और दरी-पट्टी है । बच्चे पढ़ाई अधूरी छोड़ कर मजदूरी के काम में लग जाते

है । उच्च शिक्षा के लिये 25 किमी दूर डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे यही पर हॉस्टल में रहते है । गाँव में एक भी उप-स्वास्थ्य केंद्र या दवाखाना नही है, बडा हॉस्पीटल गाँव से 20 किमी दूर डूंगरपुर शहर में है जिसके लिये मुख्य सड़क से 108, 104, टेम्पो की सुविधा है।

रोजगार की स्थिति

गाँव में खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। मनरेगा में 100 दिन का काम नहीं मिलता है और न ही काम की पूरी नपती होती है । इस वजह से पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है । मनरेगा में न्यूनतम 90 रूपए और अधिकतम 110 रूपए मिल जाते है । मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती है कि परिवार की आवश्यकताओ की भी पूर्ति नहीं हो पाती है । कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। जिसके लिये जवाब मांगने पर बैंक खातों के स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है। गाँव काम नहीं मिलने पर लोग कड़िया मजदूरी करने के लिए डूंगरपुर शहर की मंडी में आते है जहाँ मोल-भाव करके उन्हें ठेकेदार 200-300 रूपए में ले जाते है । गाँव के पढ़े-लिखे लोग बेरोजगारी से बचने और बेहतर जिन्दगी की तलाश में गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है । जहां वह 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

बढ़ता हुआ पलायन

रोजगार के अभाव में गाँव से पलायन इतना ज्यादा है कि लोग केवल त्योहारों और सामाजिक कार्यो में भागीदारी करने के लिए ही अपने घरों को आते है । पलायन का मुख्य कारण आधुनिक जिन्दगी की चाह और शहरीकरण है जहाँ सभी सुविधाए आसानी से मिल जाती है । किन्तु वहाँ भी अच्छी और तकनीकी शिक्षा के अभाव में अच्छा काम नहीं मिल पाता है । केवल गुजारा मात्र हो पाता है ।

सरकारी योजनाओं की स्थिति

गाँव सभा ने एक सर्वे किया जिसमे पाया कि गाँव में लगभग 18 लोगो को वृद्धापेंशन, 2 लोगो को विकलांग पेंशन, 1 महिला को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है । गाँव के 150 घरों कों उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिला है । और जिन्हें उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला भी है तो वे एक बार मिले सिलेन्डर को फिर से रिफिल नहीं करवा पा रहे है क्योंकि उन्हें सब्सिडी नहीं मिल पा रही है और यह काफी महंगी है । जहाँ लोगो का खाने का बंदोबस्त बमुश्किल हो पा रहा है ऐसे में उज्ज्वला गैस सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ और योजनाओं में ही अच्छी लगती है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल आर.ओ.	गाँव में 2 नाले बारिश के मौसम में चालू रहते है, और 1 नाला देवली तालाब से निकल कर साल भर बहता है । 2 एनीकट बने हुए है जिसमे से 1 में ही पानी रहता है उसका पानी सिंचाई के काम में लिया जाता है लेकिन दूसरा एनिकट कमजोर हो गया है उसकी पाल में दरारे पड़ गयी है जिनसे पानी निकल जाता है, तालाब कम गहरे है उनमे मिटटी का भराव हो गया है । कावालिया तालाब से निकाली गयी नहरे भी टूट गयी है । तालाबों का पानी पशुओ के पीने में काम आता है, मई, जून माह में अधिकतर जल संसाधनों के सूख जाने से मवेशीयों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गाँव में 41 कुएं और 30 हैंडपंप है लेकिन 5 सार्वजनिक व 5 नये कुएं ही पूरे वर्ष पानी से भरे रहते है और 8 हैण्डपंप में ही पूरे साल पानी आता है । जो जल संसाधन चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गाँव में एक आर.ओ. प्लांट उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे लगाया गया है । अक्सर देखभाल के अभाव में उसमे भी पानी कम हो जाता है ।	यदि तालाबों के तलहटी से कीचड़ निकल कर गहरा किया जाये तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है इससे सिचाई भी पूरी हो सकती है और पशुओ के लिए पूरा पानी मिल जायेगा । पहाड़ी ढलान में तेज़ बहते पानी को रोकने के लिए पक्के चेकडेम बनाये जाये । एनिकट की मरम्मत की जाये तो पानी अधिक समय तक रहेगा और भू जल का स्तर भी उपर उठेगा । गाँव के पुराने सार्वजनिक कुओं को गहरा और साफ़ करने से पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था की जा सकती है । बोरवेल पानी निकालने के बजाय कुओं से पानी निकलना ताकि जल स्तर बना रहे । गाँव में अधिक फ्लोराइड की समस्या वाले फलों में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए ।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल पहाड़	गाँव में कृषि की समतल जमीन नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव में चारागाह भी है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे लोग काट कर लाते हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा में पहाड़ो पर ही गाँव का जंगल है, पहाड़ और जंगल	गाँव के उबड़-खाबड़ खेतों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करवाना । गाँव की खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। गाँव के जंगल पर सामुदायिक वनाधिकार लेकर जंगल से लघु वन उपज

	दोनों ही वन विभाग के अधिकार में है ।	प्राप्त कर उसका निर्यात करके कमाई का विकल्प खोजा जा सकता है । लेकिन यह इस शर्त पर हो कि गाँव के लोग जंगल को बर्बाद नही करे ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव की सी.सी. और कच्ची सड़कों की संख्या कम है, ज्यादातर पगडण्डिया है । ज्यादातर घर गाँव के भीतर पहाड़ियों पर है जिस कारण वहाँ केवल सी.सी. सड़के ही उपयोगी हो सकती है । कई जगहों पर तो पगडण्डिया भी नहीं है ।	जहाँ सम्भव हो वहां सी.सी. सड़क निकालना, गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये ताकि गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी।
स्कूल	गाँव में दो प्राथमिक स्कूल है । दोनों ही प्राथमिक स्कूलों की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। स्कूल में खेल का मैदान नही है ना ही छात्र छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय है । बच्चों कों पढ़ाने के लिए अध्यापक भी पूरे नहीं है कक्षा कक्ष की कमी है । जिस कारण अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है ।	छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा छात्र छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाना । खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । शिक्षा अधिकारी से बात करके पूरे अध्यापक नियुक्त करवाना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के चालू पेयजल स्त्रोतों के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है । गाँव पेयजल के स्रोत जैसे- कुएं, हैंडपंप, बोरवेल में से अधिकतर का पानी गर्मी में सूख जाता है । फ्लोराइड युक्त पानी पीने से गाँव वालों को हड्डियों की बीमारी और जोड़ों में	गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लिया जाये कि पुराने सार्वजानिक कुओं की सफाई और संरक्षण किया जायेगा । जो हैंडपंप बंद हो गये है जिनमे पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना । गाँव में लगे आर.ओ. की सफाई और मेंटेनेंस करवाना । गाँव में एनिकट मरम्मत	**दीर्घकालिक**

			दर्द की समस्या हो रही है ।	और तालाब गहरे करवाना ताकि वर्षा-जल को रोक कर, कुओं का जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।	
2	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव प्राथमिक स्कूलों में में अध्यापक नहीं है, कक्षा-कक्ष कम है, छत से बारिश में पानी और प्लास्टर गिर रहा है, खेल का मैदान और अलग-अलग शौचालय नहीं है । जिस कारण अभिभावक भी बच्चों को पढने के लिए दूसरे गाँव के स्कूल भेजते है। फ्लोराइड मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ।	गाँव के विद्यालयों की मरम्मत, कमरों का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति की जाये, शौचालय निर्माण और उनमे पानी की व्यवस्था करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी व्यवस्थाये पूरी दी जाये । शुद्ध पानी के लिए स्कूल में आर.ओ. लगाया जाये ।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 3 एनिकट, 5 तालाब, 3 नाले है लेकिन पानी कुछ में ही रह पाता है । अच्छी कृषि तकनीक ज्ञान, उन्नतशील बीज का अभाव है ।	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा चेक डैम का निर्माण। अच्छी उपज लेने के लिए खेतों में जैविक खाद, उन्नत बीज जो कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदे जाये उसके लिए लोगो को प्रेरित और प्रोत्साहित करना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की सड़क व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप प्रर्याप्त नहीं है । पगडण्डिया संकरी है	गाँवसभा कमेटी के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और कच्ची सड़क को	**तात्कालिक**

			जिससे उच्ची पहाड़ियों पर आने जाने वाले राहगीरों को समस्या होती है ।	सी.सी. सड़क में बदलना ।	
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना**	**व्यक्तिगत**	सरकारी योजनाओं को सही से लागू करने में समस्या यह है कि सरकारी कागजी कार्यवाही समय पर पूरी ना होना, भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल गया है । गाँव में आवास योजना, पेंशन योजना, शौचालय निर्माण में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गाँव में अधिकतर लाभान्वित लोगो को राशि का भुगतान नहीं हुआ है ।	भ्रष्ट लोगो को उनके पदभार से हटाना । गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
6	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव में राशन की दुकान नही है इसके लिये देवली जाना पड़ता है । अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । दुकान पर अन्य गाँवो से भी लोग आते है	राशन की एक दुकान गाँव में खोली जाये, राशन डीलर को पूरा राशन देने के लिए पाबंद करना, बंद हो चुके गाँव सभा द्वारा मिटटी का तेल फिर से दिलाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग कों ज्ञापन देना और जिन लोगों कों राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	कच्चे रास्ते को सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। सी.सी. सड़कों की मांग नहीं करना ।	सी.सी. सड़कों की संख्या बढ़ायी जाने से गाँव के भीतरी भागों में आसानी से साधन आ जा सकते हैं, कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क होने से आने जाने में समय की बचत होगी । बीमार लोगो को स्वास्थ्य सम्बंधित मदद जल्दी मिल सकती है ।	सरकार तथा पंचायत की उदासीनता । गाँव सभा कमेटी पंचायत पर प्रभावी दबाव नहीं बना पा रही है ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गर्मी के अंत तक कुएं, हैंडपंप, तालाब और बोरवेल का पानी समाप्त प्राय हो जाता है । कुओं के रिचार्ज की व्यवस्था नहीं । गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए जल संरक्षण के बारे में गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	कच्चे-पक्के चेकडेम निर्माण, बरसात के पानी को रोकने के लिए हर घर में एक टंकी का निर्माण करवाना । तालाबों और कुओं का गहरीकरण व सफाई । जिससे सिचाई और शुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता हैं।	जल संरक्षण के प्रति पंचायत और गाँव के लोगों में खास रूचि ना होना या उदासीनता । जल संरक्षण योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने में असमर्थता ।
आजीविका के साधन	गाँव में रोजगार के लिए सिर्फ खेती और नरेगा ही है । रोजगार के साधनों का अभाव। उन्नत बीज और उन्नत कृषि तकनीक के अभाव में उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलू उद्योग	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नत कृषि तकनीक और उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

	का अभाव। रासायनिक खाद के अत्यधिक छिडकाव से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होकर बंजर हो रही है।	भी किये जा सकते है। गाँव के लोगो को जैविक खाद छिडकाव और इसके निर्माण के बारे में प्रशिक्षण देना	

- **नजरिया नक्शा**

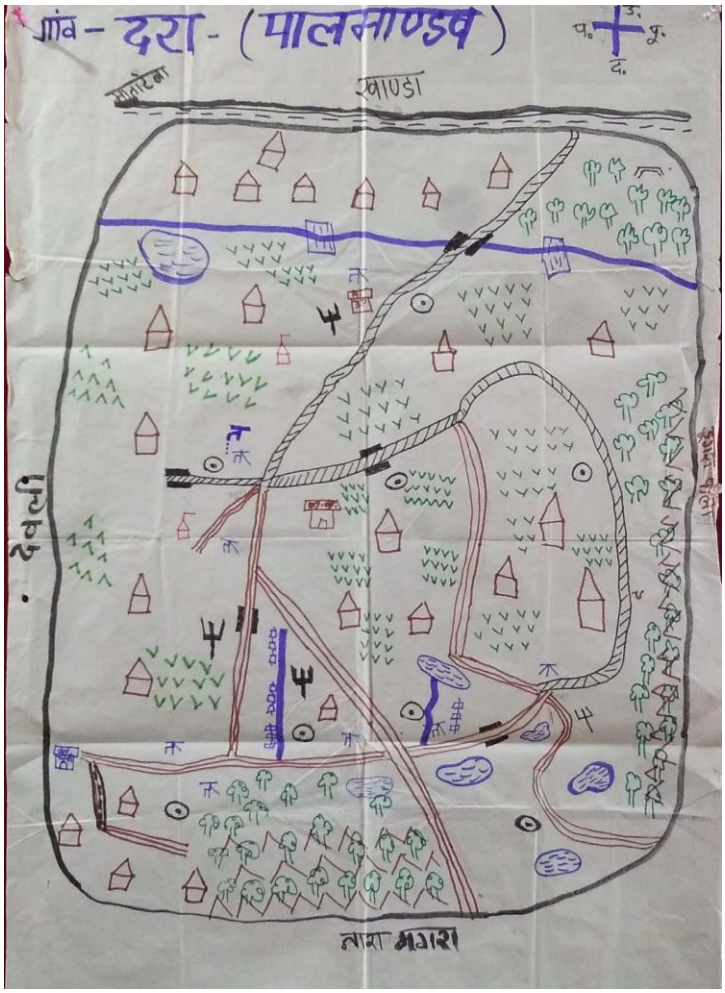

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन सम्बंधित प्रस्ताव	
वृद्धा पेंशन	10
विधवा पेंशन	4

विकलांग पेंशन एकलनारी पालनहार (6-18 वर्ष), (1-5 वर्ष)	4 2 8+3 = 11
पी.एम. आवास सम्बंधित प्रस्ताव नये आवास बकाया राशि भुगतान	 20 1
शौचालय निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	10
विद्यालय सम्बंधित प्रस्ताव अध्यापक नियुक्ति, कमरा निर्माण, शौचालय मरम्मत, खेल का मैदान	प्रा. एवं उ. प्रा. विद्यालय
राशन की दुकान खोलने सम्बंधित प्रस्ताव	1
सामुदायिक भवन निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
आंगनवाडी भवन निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव आंगनवाडी भवन मरम्मत सम्बंधित प्रस्ताव	1 1
सी.सी. सड़क सम्बंधित प्रस्ताव	5
तालाब गहरीकरण सम्बंधित प्रस्ताव (पीपला तालाब)	1
हैंडपंप सम्बंधित प्रस्ताव नया हैंडपंप पुराना हैंडपंप मरम्मत	 9 2
केटेगरी 4 के कार्य खेत तलावडी, पशुबाड़ा निर्माण, कुआ गहरीकरण, नया कुआ/पुराना कुआ गहरीकरण, खेत तलावडी, मेडबंदी सम्बंधि प्रस्ताव	69
पक्के चेकडेम निर्माण सम्बंधि प्रस्ताव	7
एनिकट निर्माण सम्बंधि प्रस्ताव	5
वृक्षारोपण सम्बंधित प्रस्ताव	4
शमशान घाट निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
चबूतरा निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	2
आर.ओ. प्लांट लगवाने सम्बंधित प्रस्ताव	1
सामुदायिक वन दावा लगाने सम्बंधित प्रस्ताव	
काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने सम्बंधित प्रस्ताव	
सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बन्ध में प्रस्ताव	
सामाजिक कुरीतियों पर रोक के सम्बन्ध में प्रस्ताव	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

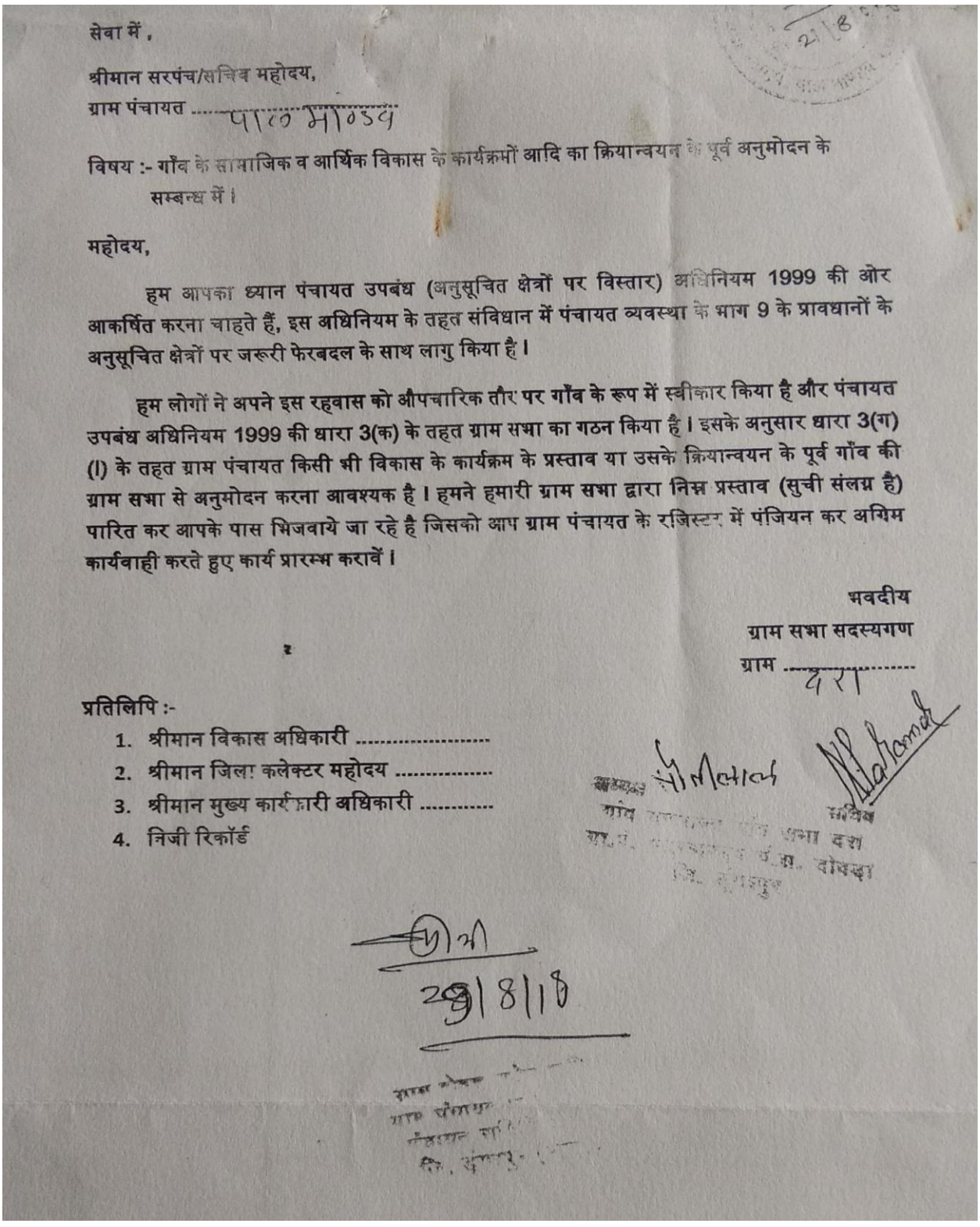

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......पा० मो०डा......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है । हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ......दरा......

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

अध्यक्ष — सचिव
गाँव ... सभा दरा
... दोवड़ा
जि. डूंगरपुर

29/8/18

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 24/8/18 को देरा गांव की गांव सभा की बैठक स्कूल परिसर पर आयोजित की गयी। गांव सभा मे मौजुद गांव वासियो ने श्री लाल मुकुन्दजी परमार को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गयी। गांव सभा की बैठक मे निम्न लिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा –

1 पेंशन के सम्बध में
2 विधवा P.M / C.M आवास के सम्बध मे
3 शौचालय निर्माण के सम्बध में
4. स्कूल के सम्बध मे
5. राशन की दुकान के सम्बध मे –
6. सामुदायिक भवन निर्माण एवं मरम्मत के सम्बध मे
7. आंगनवाडी के सम्बध मे
8. रास्ता निर्माण के सम्बध
9 तालाब गहरी करण
10 नए हेण्डपम्प लगाने और पुराने मरम्मत के सम्बध मे
11 खेत समतलीकरण / पशु बाडा निर्माण / खेत तलावडी निर्माण नए कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बध मे
12 चेकडेम निर्माण के सम्बध मे
13 एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बध मे
14 वृक्षारोपण के सम्बध मे
15 सामुदायिक वन दावा करने के सम्बध मे
16 काबिज भूमी पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बध मे
18 सामाजिक विवाद निपटने के सम्बध मे
19 सामाजिक कुरीतियो के सम्बध मे
20 श्मशानघाट के सम्बध मे।
21 चबुतरा निर्माण
22 R.O. सिस्टम (पनघट योजना)

(14)

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव जो रखे गये	प्रस्ताव जो पारित हुऐ		अनुमानित लागत राशी	सम्बधित विभाग	हस्ताक्षर
19	श्मशान घाट के सम्बध मे ① श्मशान घाट नया बनाना श्मशानघाट निर्माण, टिनशेड मडदा घाटी के पास, चबुतरा परकोटा निर्माण, हेण्डपम्प, पानी की टंकी	प्रस्ताव सं. 19 मे श्मशान घाट नया बना चबुतरा निर्माण, परकोटा हेण्डपम्प पानी टंकी के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गये	सभी ना निर्माण सम्मति से	श्मशान घाट निर्माण नया एवं परकोटा निर्माण : 10,0000/-	पंचायति राज विभाग सांसद / विधायक निधि	[illegible] मगनलाल हरीशंकर नाथूलाल धन्नाराम
20	चबुतरा निर्माण - ① कजोडी बेसाला/रूपा के घर के पास 2. मडदा घाटी	प्रस्ताव सं 20 मे प्रस्ता चबुतरा निर्माण के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	वित सभी पारित	चबुतरा निर्माण 2×100000 = 200000/-	पंचायतिराज विभाग	मोहनलाल धन्नाजी मोतीलाल
21	R.O. पनघट योजना के अर्न्तगत मडदाघाटी के पास (गडुघाटी)	प्रस्ताव सं 21 मे प्रस्ता R.O. लगवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये	वित व गये	R.O (पनघट योजना) 800000/-	पंचायति राज विभाग	सुरेन्द्र प्रेमलाल भारती नारायण

ग्राम सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने लिए निम्नलिखित लोगो को अधिकृत किया गया।
① मोतीलाल ② नारायनजी ③ बक्शीराम ④ नडुलाल ⑤ मोहनलाल ⑥ रेखा

अध्यक्ष द्वारा गांव सभा की बैठक मे उपस्थित लोगो को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया गया।

बैठक अध्यक्ष
हस्ताक्षर
लालमुकुन्द

ललित बाबुलाल नारायण

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1.	रेखा परमार	9799788492
2.	मोतीलाल परमार	9414926731
3.	नारायण लाल परमार	9784125272
4.	शंकरलाल	9602720129